कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 466 /12-1(1), कोटबंगला दिनांक 05 /08 /2018

डायरी- 2115/वन(1)
दिनांक- 08/08/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट उपचार कार्य हेतु 1.5292 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/OTHER/26775/2017.)**

सन्दर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी की पत्र सं0–2959/वन भूमि, दिनांक 02.08.2018।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट उपचार कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 5 तक की सभी शर्तों का निम्नानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्र0 स0	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.0584 हे0 ग्राम ईड गांव तथा ग्राम सिंगुणी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः उसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्तानुसार एन0पी0वी0 हेतु रू0 1004684.40 की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 852269.36 की धनराशि कुल रू0 1856954.00 की धनराशि ई–चालान संख्या–SBINRS2018062200065316 दिनांक 22.06.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 3.0584 हे0 ग्राम ईड़ गांव खसरा नं0 2852 रकवा 2.717 है0 तथा ग्राम सिंगुणी खसरा नं0 2618 रकवा 0.931 है0 कुल रकवा 3.648 है0 मे से 3.0584 है0 सिविल सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता/उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा खसरा खतौनी की नकल संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 हेतु रू0 1004684.40 की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 852269.36 की धनराशि कुल रू0 1856954.00 की धनराशि ई–चालान संख्या–SBINRS2018062200065316 दिनांक 22.06.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है।
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्तानुसार यदि एन0पी0वी0 की दरों में फिर भी बढोतरी होती है तो बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुनः जमा कर दी जाएगी।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जना की गयी सभी निधियॉं (C.A cost, NPV etc) को वैब पोर्टल Online Generate पर किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 हेतु रू0 1004684.40 की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 852269.36 की धनराशि कुल रू0 1856954.00 की धनराशि ई–चालान संख्या–SBINRS2018062200065316 दिनांक 22.06.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है।

5.	निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की बचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्तानुसार निर्माण के पश्चात जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत महत्वपूर्ण प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आप भी अपने स्तर से कार्य करने हेतु निर्देशित करना चाहे, क्योंकि कार्यदायी संस्था एवं उच्च स्तर से कार्य प्रारम्भ करने हेतु बार–बार स्मरण कराया जा रहा है।

संलग्नक :– खसरा खतौनी की नकल।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि प्रस्तुत अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

पत्रांक 3059 / वन भूमि / [illegible] दि. 8/8/18
प्रतिलिपि श्री नवीन [illegible] सहायक अभियन्ता II को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित. अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करें,
प्रतिलिपि श्री दिनेश [illegible] / श्री [illegible] चौहान कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियन्ता (जा) / श्री [illegible]

7/8/18
अ. अ.
7/8/18

C:\Users\Ganpati Enterprises\Desktop\CCF nodal officer.doc